3

## SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL CODE, 1898

In the court of .

जेएमएफसी गोहद

प्रकरण कमांक 70 /2018

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद

name, parentage, caste and address of accused
1. 2-5199 36 1-5199 56 greate has a sulf

The offence complained of, and date of its alleged commission

Sit Bong 24-4-10 of vary of 20 and 20

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed.

(शिवाजी शोमी) जेएमएक्सी नी ह्यायिक मजिस्ट्रेट पथम श्रेणी गोहद, जिल्ला-भिण्ड

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 14-5-10) को पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा उप के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नही होता है. अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 3 ५ - अल्पकारी के अंतर्गत दोषसिद्धि टहराया जाता है।
  - अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
  - फलस्वरूप आरोपी को धारा उप किन्नु कार्य के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं १५०० रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 🔰 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता 常1
- पति । 4. विकास प्रकरण में मुददे माल अस्ति है भी जीर मेजी जावे
  - आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोहद

दिनांक- 14-5-) Devoid equello enT

निर्णय आज दिनांकित एवं मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित् कर घोषित किया गया

जेएमएकसी गोहद

गोहद, जिला-भिण्ड